

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुनील कुमार I, (RAS)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 68/2024 GCMS 2024/145

प्रार्थी :-

1. झुंझाराम पुत्र सेवाराम
2. धूडाराम पुत्र जमनाराम
3. बजरंगलाल पुत्र जमनाराम जाति समस्त जाट निवासी टोडास तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन

अप्रार्थी :-

1. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

दावा रिकॉर्ड दुरुस्ती व नक्शा तरमीम बाबत अन्तर्गत धारा 129, 130, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री भीकमचंद अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी

-:निर्णय :-

दिनांक :- 18/12/2024

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जरिए वकील श्री भीकमचंद के प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि ग्राम चितावा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 240 रकबा 2.50 हैक्टर व खसरा नम्बर 1301/239 रकबा 2.35 हैक्टर स्थित चली आ रही है। ग्राम चितावा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 69 रकबा 127 बीघा भूमि तत्कालिन काबिज खातेदार मूल सिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चितावा को अपने हक हिस्से में से 30 बीघा भूमि जमनाराम, अर्जनराम व झुंझाराम पिता सेवाराम को जरिए विक्रय पत्र बैचान किया व उसी दिन कब्जा सुर्दा कर दिया गया तब से क्रेतागण काबिज चले आ रहे हैं। ग्राम चितावा के गत खसरा नम्बर 69 के नवीन खसरा नम्बर 240, 1301/239 कायम हुए जो कि वादीगणों के कब्जे व बट में आई हुई है। उपरोक्त भूमि जो कि मौके पर खसरा नम्बर 240, 1309/239 एक ही चक में स्थित है व उसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं व नक्शा में मौके पर इसी



अनुसार काबिज होकर चले आ रहे हैं उसी अनुसार उपयोग-उपभोग करते आ रहे हैं। लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में नक्शा तरमीम करते समय गलत दर्ज हो गया जो कि मौके पर नक्शा प्रार्थीगण मौके पर काबिज अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त भूमि का मौके पर काबिज अनुसार गत खसरा नम्बर 69 की भूमि का हम प्रार्थीगण की भूमि का मौके पर कब्जा व राजस्व रेकॉर्ड में खसरा नम्बर 240, 1301/239 रकबा 2.35 हैक्टर भूमि को एक ही खतौनी में एकजाही करके मौके पर भौतिक सत्यापन कब्जा अनुसार राजस्व रेकॉर्ड व नक्शा में शुद्धि तरमीम किया जाना आवश्यक है जिसका प्रार्थीगण हकदार है इसलिए यह प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरुस्ती व नक्शा दुरुस्ती बाबत लाया जाना आवश्यक हुआ है जिसका वादीगण/प्रार्थीगण अधिकारी है। ग्राम चितावा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 240 रकबा 2.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 1301/239 रकबा 2.35 हैक्टर भूमि को एक जगह करके नक्शे में तरमीम मौके पर काबिज अनुसार राजस्व रेकॉर्ड व नक्शे में दुरुस्ती किया जाकर उसी अनुसार बराबरी रेकॉर्ड में शुद्धि तरमीम शुद्धि किया जाने का आदेश तहसीलदार कुचामन सिटी को प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र/वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी को नोटिस/तहरीर जारी कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार कुचामन सिटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर के लट्ठा एवं भू नक्शा की तरमीम में अन्तर है। जिसको शुद्ध किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी व राजपैरोकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व राजपैरोकार ने तहसीलदार रिपोर्ट को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम चितावा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 240 रकबा 2.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 1301/239 रकबा 2.35 हैक्टर भूमि की तरमीम को तहसीलदार कुचामन सिटी के मौका रिपोर्ट में दर्शाये नजरी नक्शे अनुसार दुरुस्त किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।



जयपुर उपखण्ड अधिकारी

--आदेश :-

ग्राम चितावा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 240 रकबा 2.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 1301/239 रकबा 2.35 हैक्टर भूमि की तरमीम को तहसीलदार कुचामन सिटी की मौका रिपोर्ट में दर्शाये नजरी नक्शे अनुसार दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार कुचामन सिटी आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 18/12/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुनील कुमार I.R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (झुझाराम-कुचामन)